

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

**सा.का.नि. 494(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) संशोधन नियम, 2014 है।  
(2) ये 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
2. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 में,—

(क) उप-नियम (6ग) में, "1 अप्रैल, 2013" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2013 किंतु 1 अप्रैल, 2014 के पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (6ग) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6घ) जहां कोई प्रमाण पत्र 1 अप्रैल, 2014 को या इसके पश्चात् क्रय किया गया है, वहां किसी अंकित मूल्य के प्रमाण पत्र की परिपक्वता की अवधि 5 वर्ष होगी जो प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से आरंभ होगी। उसकी परिपक्वता अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय प्रमाण पत्र के भुनाए जाने पर, ब्याज सहित संदेय रकम, 100 रुपये के अंकित मूल्य के लिए 151.62 रुपये और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी। नीचे सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट ब्याज प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रमाण पत्र के धारक या धारकों को प्रोद्भूत होगा और प्रत्येक वर्ष के अंत में चौथे वर्ष की समाप्ति तक इस प्रकार प्रोद्भूत ब्याज के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका धारक की ओर से पुनः विनिधान किया गया है और प्रमाण पत्र के अंकित मूल्य की रकम के साथ जोड़ दिया गया है।

**"सारणी**

वर्ष के लिए अर्जित ब्याज	100 रुपये के अंकित मूल्य के प्रमाण पत्र पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की रकम (रुपये)
पहला वर्ष	8.68
दूसरा वर्ष	9.43
तीसरा वर्ष	10.25
चौथा वर्ष	11.14
पांचवा वर्ष	12.11".

**टिप्पणः** किसी अन्य अंकित मूल्य के किसी प्रमाण पत्र पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की रकम उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की आनुपातिक होगी।

3. उक्त नियम के नियम 16 के उप-नियम (4) में,—

(क) खंड (VII) में, "1 अप्रैल, 2013" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2013 किंतु 1 अप्रैल, 2014 के पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (VII) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(VIII) यदि 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् क्रय किया गया कोई प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उप-नियम (1) के अधीन भुनाया जाता है, तो संदेय रकम, जिसके अंतर्गत नियम 15 के अधीन प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित है और रियायत के समायोजन करने के पश्चात्, 100 रुपये के अंकित मूल्य के प्रमाण पत्र के लिए नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में होगी और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी।

#### सारणी

पत्र की तारीख से उसके भुनाए जाए की अवधि	ब्याज सहित संदेय रकम (रुपए)
(1)	(2)
तीन वर्ष या अधिक, किंतु तीन वर्ष और छह मास से कम	124.24
तीन वर्ष और छह मास या अधिक, किंतु चार वर्ष से कम	128.81
चार वर्ष या अधिक, किंतु चार वर्ष और छह मास से कम	133.56
चार वर्ष और छह मास या अधिक, किंतु पाँच वर्ष से कम	138.48".

#### स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने सभी संबंधितों राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न विनिश्चयों के बारे में को अपने का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस. II (भाग), तारीख 11 नवंबर, 2011 के द्वारा सूचित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अधीन 01.04.2014 से संशोधित की गई ब्याज-दरों की सूचना अपने का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस. II, तारीख 04 मार्च, 2014 के द्वारा दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी निक्षेप धारक के हितों पर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 6-1/2011-एनएस-II (भाग-II)]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम सा.का.नि. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए:—सा.का.नि. 508(अ), तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 120(अ), तारीख 8 मार्च, 1998, सा.का.नि. 7(अ), तारीख 1 जनवरी, 1989, सा.का.नि. 491(अ), तारीख 5 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 47(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 156(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 572(अ), तारीख 2 अगस्त, 2001, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 711(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2002, सा.का.नि. 179(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 590(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 591(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 820(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2003, सा.का.नि. 289(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 744(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 842(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011 और सा.का.नि. 318(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2013, सा.का.नि. 397(अ), तारीख 25 जून, 2013 और सा.का.नि. 226(अ), तारीख 13 मार्च, 2014 द्वारा किए गए।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2014

**G.S.R. 494(E).**—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2014.

2. In the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 15,—

(a) in sub-rule (6C), for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of April, 2013”, the figures, letters and words “1st day of April, 2013 but before the 1st day of April, 2014,” shall be substituted;

(b) after sub-rule (6C) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“(6D) Where a certificate has been purchased on or after the 1st day of April, 2014, the maturity period of a certificate of any denomination, shall be five years, commencing from the date of issue of the certificate and the amount inclusive of interest, payable on encashment of the certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs 151.62 for denomination of Rs. 100 and at proportionate rate for any other denomination, and the interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year upto the end of the fourth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

**TABLE**

<b>Year for which interest accrues</b>	<b>Amount of interest (rupees) accruing on certificate of Rs. 100 denomination</b>
First Year	8.68
Second Year	9.43
Third Year	10.25
Fourth Year	11.14
Fifth Year	12.11”.

**Note :** The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above”.

3. In rule 16 of the said rules, in sub-rule (4),—

(a) in clause (vii), for the figures, letters and words “1st day of April, 2013”, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of April, 2013 but before the 1st day of April, 2014” shall be substituted;

(b) after clause (vii) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“(viii) If a certificate is encashed under sub-rule (1) after the expiry of three years from the date of certificate, purchased on or after the 1st day of April 2014, the amount payable, inclusive of interest accrued under rule 15 and after adjustment of discount, shall be as specified in the Table below for a certificate of Rs. 100 denomination and at a proportionate rate for a certificate of any other denomination.

TABLE

Period from date of certificate to date of its encashment	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Three years or more, but less than three years and six months	124.24
Three years and six months or more, but less than four years	128.81
Four years or more, but less than four years and six months	133.56
Four years and six months or more, but less than five years	138.48”.

## EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) vide its O.M. No. 6-1/2011-NS.II (Pt.), dated the 11<sup>th</sup> November, 2011 has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of National Small Savings Funds (NSSF). Accordingly, the rates of interests on various small savings schemes for the financial year 2014-15 revised with effect from 1st April, 2014, have been communicated vide its O.M. No. 6-1/2011-NS.II, dated the 4th March, 2014. It is certified that the interests of no deposit holder shall be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 6-1/2011-NS-II (Pt.II)]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published vide number G.S.R. 496(E), dated the 1st May, 1989, and subsequently amended vide numbers G.S.R. 508(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 120(E), dated the 8th March, 1998, G.S.R. 7(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 491(E), dated the 6th July, 1999, G.S.R. 47(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 156(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 572(E), dated the 2<sup>nd</sup> August, 2001, G.S.R. 163(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, G.S.R. 711(E), dated the 17th October, 2002, G.S.R. 179(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 590(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 591(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 820(E), dated the 16th October, 2003, G.S.R. 289(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 744(E), dated the 4th October, 2011 and G.S.R. 842(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 318(E), dated the 25th April, 2013, G.S.R. 397(E), dated the 25th June, 2013 and G.S.R. 226(E), dated the 13th March, 2014.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

**सा.का.नि. 495(अ).—**केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IX निर्गम) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IX निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 है।  
(2) ये 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IX निर्गम) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 के उप नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—